

37/2014 वीमयुक्त-महावीर

दिनांक

आज्ञा पत्र

19-12-19

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलान्त से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर सम्वर से कम होकर बांद तरतीव तकमील दाखिल दफतर हो।

Not press
Z. B.
19.12.19




जयप्रकाश न्यायाधीश
पदेन साज्जद अपील अधिकारी
साज्जद

